आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

28/03/2022

नामान्तरण पुनरीक्षण 116/2012

मोहन राम बनाम् मोतरी देवी

प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद में उपायुक्त, राँची द्वारा नामान्तरण पुनरीक्षण 15R15/2012-13 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। यह वाद दिनांक–09.04.2013 को सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया, जिसके पश्चात् विपक्षियों का पता उपलब्ध कराने एवं उन्हें नोटिस तामिला कराने में कुछ समय व्यतीत हुआ। दिनांक–08.07.2019 को विपक्षी की मृत्यु की सूचना देते हुये उनके वारिसों को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध उनके आवेदकों के तरफ से किया गया। उक्त तिथि एवं इस तिथि के पश्चात् आवेदक कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। आवेदकों को उनका पक्ष रखने हेतु दिनांक–17.02.2022, 28.02.2022, 10.03.2022 एवं 21.03.2022 को लगातार मौके दिये जाते रहे, किन्तु कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। स्पष्टतः आवेदकों को इस वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं है।

यह भी विचारणीय है कि प्रश्नगत् विषय इस न्यायालय में विचारणीय ही नहीं है। इस मामले में उपायुक्त के स्तर से ही पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध नामान्तरण अपील के नाम से यह आवेदन में न्यायालय में दायर किया गया। नामान्तरण वाद की प्रक्रिया में आयुक्त न्यायालय में द्वितीय पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.14 18:12:15 +05:30
Location: 192.168.1.35